

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती रकमाबाई

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्रीमती शान्ता

पत्रावली संख्या : 53/20

जीसीएमएस : 2020/00223

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 20.12.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को फैसल किया जा चुका हैं। ऐसे में अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता हैं।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

